रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 615] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 1992/भाद्रपद 26, 1914
No. 615] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 1992/BHADRA 26, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1992

का. आ. 695(अ).--केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 19 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, भारत के बाहर निवासी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारतीय राष्ट्रीयता का व्यक्ति है, भारतीय मूल का व्यक्ति है (जिसे इसमें इसके पश्चात् अन्तरक कहा गया है) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, भारतीय राष्ट्रीयता का व्यक्ति है (जिसे इसमें इसके पश्चात् अन्तरिती कहा गया है) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी के अंशों (शेयरों) के दान के रूप में किए गए किसी अन्तरण को, उक्त धारा की उपधारा (5) के प्रवर्तन से छूट देती है ;

परन्तु यह तब जब कि--

(i) पूर्वोक्त अंश (शेयर) अन्तरक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की साधारण या विनिर्दिष्ट अनुज्ञा से धारित थे ;

(ii) अंशों (शेयरों) का अन्तरण अन्तरक द्वारा अपने निकट नातेदार को किया गया था ;

(iii) अन्तरण के संबंध में कोई अन्तरक की दशा में उसके द्वारा सामान्य बैंककारी प्रणाली के माध्यम से भारत के बाहर से भेजे गए धन से किया गया था या उसके ऐसी बैंक के, जो भारत में विदेशी मुद्रा का संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत है। बैंक में अथवा किसी प्राधिकृत सरकारी बैंक अथवा प्राधिकृत वाणिज्य बैंक के अनिवासी विदेशी करेंसी/अनिवासी साधारण खाता में रखी गई निधियों से किया गया था।

स्पष्टीकरण--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--

(1) कोई व्यक्ति, भारतीय मूल का समझा जाएगा यदि--

(i) उसके पास किसी समय भारतीय पासपोर्ट था,

या

(ii) वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही में से कोई भारत के संविधान या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के आधार पर भारत का नागरिक था :

परन्तु पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका का नागरिक भारतीय मूल का नही समझा जाएगा।

(II) भारत के नागरिक की पत्नी अथवा भारतीय मूल का कोई व्यक्ति (जो पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, भूटान या श्रीलंका का नागरिक नही है) भारतीय मूल का समझा जाएगा।

(III) "निकट का नातेदार" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में है।

[फा.सं. 10/31/92-एन.आर.आई. सेल]
नारायण वल्लूरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 1992

S.O. 695(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 19 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient in public interest so to do, hereby exempts from the operation of sub-section (5) of the said section, any transfer by way of gift, of shares of a company registered in India made by a person resident outside India being a person of Indian nationality or a person of Indian origin (hereinafter referred to as the transferer) to a person resident in India being a person of Indian nationality (hereinafter referred to as the trasferee).

Provided that :—

(i) the aforesaid shares were held by the transferor with either general or specific permission of the Reserve Bank of India ;

(ii) transfer of shares was made by the transferor to his close relative ;

(iii) The expenditure in connection with transfer was met in case of the transferor out of the money remitted from outside India by him through normal banking channels or met out of the funds held in his non-resident Foreign currency Non Resident| Non Resident ordinary Account with a bank authorised to deal in foreign exchange in India or with an authorised co-operative bank or authorised commercial bank.

Explanation :—For the purposes of this notification,—

(I) person shall be deemed to be of Indian origin if—

(i) he, at any time, held Indian passport, or

(ii) he or either of his parents or any his grand parents was citizen of India by virtue of the Constitution of India or the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955) : Provided that a citizen of Pakistan Bangladesh, Nepal, Bhutan and Sri Lanka shall be deemed to be not of Indian origin.

(II) A wife of citizen of India or a person of Indian origin (not being a citizen of Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan or Sri Lanka) shall be deemed to be of Indian origin.

(III) The expression "close relative" shall have the meaning as given in the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

[F. No. 10|31|92-NRI Cell]
NARAYAN VALLURI. Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992